

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कग्रा न0 413 : वरुणालय फेज - II : करोल बाग नई दिल्ली - 110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट

www.delhijalboard.nic.in

प्राप्तकर्ता दि0ज0बौ0 / प्र0अ0अ0 (आर0टी0आई) अपील न0 1263 / 2015 / दिनांक: 28.05.2015

T-6

श्री जोगी राम सिंह,
स०ल0 772, एम०सी०डी० कालोनी,
रामयपुर बादली,
दिल्ली-110042.

उप-निदेशक (राजस्व) प0 / द0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री जोगी राम सिंह के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 09-02-2015 (आई0डी०न0 8248) का निपटान किया गया।

दिनांक 27.05.2015 को अपील की सुनवाई की गई। नियत समयानुसार अपीलकर्ता श्री जोगी राम सिंह उपस्थित हुए एवं श्री सतीश चन्द, मुख्य लिपिक, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (प0)- II, राजेन्द्र नगर, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए।

प्रस्तुत अपील में अपीलकर्ता द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-11-2014 की जांच में पाया गया कि उनको अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्तुत अपील आर0टी0आई० नियमों के अन्तर्गत दिनांक 06-02-2015 को दी गई। इसके बाद सुनवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया किन्तु इसके बाद भी आवेदनकर्ता को कोई सूचना प्रदान नहीं की गई और न ही कोई कारण बताया गया। जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी को चेतावनी दी जाती है कि आर0टी0आई० नियमों के अन्तर्गत आने वाले आवेदन पत्रों को साधारण तौर पर न लिया जाए और हर आवेदन पत्र की सही रूप से जांच करके नियमानुसार उपलब्ध जानकारी दी जाए। इस केस में आवेदनकर्ता को इस आदेश पत्र के जारी होने के पश्चात दस दिन के अन्दर आर0टी0आई० नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए जवाब दें।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया।

यदि अपीलकर्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष चिन्हित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता है:-



Programmer :-

✓ ✓

Kesaree
15-6-15

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तला-बी-विंग,
अगस्त कान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली- 110066

४०

अमित सतीजा
प्रथम सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. श्री जोगी राम सिंह, म0न0 772, एम0सी0डी0 कालोनी, समयपुर बादली, नई दिल्ली-110042.
2. उप-निदेशक (राजस्व) प0/द0प0- ॥
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (प0)- ॥, राजेन्द्र नगर ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाइ ट पर इस आदेश को डालने हेतु।

प्रथम सूचना अधिकारी